

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- राजपत्रित/सामान्य/प-33/2015/

दिनांक :-

--: आदेश :-

निदेशालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 453 दिनांक 08.07.15 के निरन्तर में निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इन्स्टिट्यूशनल एरिया दूरदर्शन के पास, जयपुर के पत्रांक F-7(10)/SIHFW/PDC/P VI/14-15 दिनांक 11.06.15 के क्रम में 12th Professional Development Course(PDC) at SIHFW जयपुर द्वारा दिनांक 15.07.15 से 22.09.15 तक (10 सप्ताह) के कोर्स में भाग लेने हेतु निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों को मनोनीत किया जाता है:-

क्र. सं.	चिकित्सक का नाम	पद	पदस्थापन स्थान
1	डा0 निति गुप्ता	चि.अ.	जिला चिकित्सालय, धौलपुर
2	डा0 महेश चन्द गुप्ता	चि.अ.	सामु. स्वा. केन्द्र, पिलौदा, (सवाई माधोपुर)
3	डा0 दल्ला राम	चि.अ.	प्राथ. स्वा. केन्द्र, झाक, (जोधपुर)
4	डा0 हरिश यादव	चि.अ.	प्रा.स्वा.केन्द्र, पंचेरीकला(झुन्डु)
5	डा0 विजय मीणा	चि.अ.	टीबीसी, जिला चिकित्सालय, बुरू

उक्त सभी चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कोर्स में भाग लेने हेतु दिनांक 21.07.15 को प्रातः 09:00 बजे निर्धारित स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवायेंगे अन्यथा श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय के पत्र क्रमांक प.6(6)ट्रेनिंग (पीएल-2)/आर.एच.एस.डी.पी./07/4405 दिनांक 14.06.07 के अनुसार अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षण राशि इनके वेतन से वसूल की जावेगी एवं सीसीए नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही भी प्रस्तावित की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उक्त मनोनीत प्रशिक्षणार्थियों को विशेष कठिन परिस्थिति होने पर उनके स्थान पर अन्य उस चिकित्सक को मनोनीत करेंगे जिसने पूर्व में यह प्रशिक्षण नहीं लिया हो साथ ही प्रशिक्षण में जाने वाले चिकित्सकों को यह भी निर्देशित करावें कि प्रशिक्षण के दौरान केवल प्रशिक्षणार्थी हेतु ही आवास व्यवस्था की गई है। इसलिए अन्य (पारिवारिक सदस्य/मित्र) किसी को भी वहां उहरने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

नोट : 1. यात्रा भत्ता टैक्सी/स्वयं की कार इत्यादि

का यात्रा भत्ता देय नहीं है।

2. स्थानान्तरण होने की स्थिति में मनोनयन में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- राजपत्रित/सामान्य/प-33/2015/504

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम. मुख्यालय जयपुर।
3. निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इन्स्टिट्यूशनल एरिया दूरदर्शन के पास, जयपुर के पत्रांक F-7(10)/SIHFW/PDC/P VI/14-15 दिनांक 11.06.15 के क्रम में लेख है कि प्रशिक्षण में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों की सूचना एवं प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों की सूचना भिजवावें, ताकि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सके।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर/बीकानेर/भरतपुर/जोधपुर।
5. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान को भेजकर लेख है कि आपके अधीन कार्यरत उक्त चिकित्सकों को प्रशिक्षण में दिनांक 21.07.15 को प्रातः 09:00 बजे प्रशिक्षण स्थान पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित करते हुए कार्यमुक्त करें।
6. संबंधित चिकित्सक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रमारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करावें।
8. आदेश/रहित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।